

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक डिवीजनल एवं S.O.O मुकाम ठाण्डु

मानाराम बनाम विमानाराम वर्गार

किस्म मुकदमा सा. क्र. 111/128 R.R.A.C.T. नं. 135/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/04/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>युनाराम एस</u></p> <p>ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 R.R.A.C.T.</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/05/18</u> को पेश हो।</p>	
14/05/18	<p><u>पत्रावली साज न्याय कापडे डर प्रमिषात</u></p> <p><u>2018 डेम्प डोट ग्राफ पंचायत जायदाद में</u></p> <p><u>रधी गड आधी वहील उपस्थित। आधी डे</u></p> <p><u>प्रतिवन्ता ही एडप्लीकेशन दुनी गड आधी</u></p> <p><u>डे प्रतिवन्ता ने कलमा ही आधी डे कपने</u></p> <p><u>प्यातेडारी घेतो डे चाले फोर पन्डे नेखम</u></p> <p><u>दुभापित डरवाने कावड डे इमलिए आधी डे</u></p> <p><u>नेखमवनी कावेडन टवीडर विमा जाडर लडमीलाड</u></p> <p><u>गिड डे डमिडानर नियुक्त विमा जाला डे व</u></p> <p><u>फाडेरा विमा जाला डे डि फाय टकम या फपने</u></p> <p><u>प्रतिवन्ता विमी भी डे प्रमिलेख निरिसड डे</u></p> <p><u>आधी डे प्यातेडारी घेतो भी पन्डी नेखमवनी मोडे</u></p> <p><u>पड डमिडानर फिम जमा डराडर दोनो पन्डी डे</u></p> <p><u>नोटिस जारी डर डे पालना रिपोर्ट जाला दोनो</u></p> <p><u>पर वामिल पत्रावली डे, पत्रावली नैसल दुमार</u></p> <p><u>डो, फज नम्बर डे डम डे, डाकिल डमर डे।</u></p>	

सेवामें

पुस्तक
श्री पुनराप
रीट रिपोर्ट केर ।

1

॥श्री॥



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, जाखड़ा)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/178
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 14/05/2018
विप्रार्थीगण

1. श्री मानाराम पुत्र पीराराम जाति
जाट निवासी जाखड़ा तहसील गिड़ा
जिला बाड़मेर

1. श्री किशनाराम पुत्र बगसाराम वगैरा 31
निवासी जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 135/18

आदेश

मौजा जाखड़ा पटवार हल्का जाखड़ा के खेत खसरा नम्बर 64, 77, 115, 116, 158 रकबा क्रमशः 23.18, 31.14, 00.03, 47.14, 14.12 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत के चारों तरफ सेढा पडोसीयों को नोटिस देने के बाद, प्रार्थी से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 14 /05/2018

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/179-83
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री मानाराम पुत्र पीराराम।
4. विप्रार्थी श्री किशनाराम पुत्र बगसाराम वगैरा 31।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु